तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/3/21	परिवादी की ओर से अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अप्रार्थी मय अधिवक्ता श्री संजय कुमार सोनी उपस्थित। यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म/प्रतिष्ठान पर निरीक्षण दिनांक 09.11.2020 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड शक्ति** को मिलावट/अवमानक स्तर का होने के शक पर नियमानुसार **800 ग्राम घी ब्राण्ड शक्ति** वास्ते नमूना संख्या **पी–1275** खरीद कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्राप्त किया एवं प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड शक्ति** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 16.12.2020 में उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड शक्ति** का **नमूना अवमानक (Sub Standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त रिपोर्ट की आगे द्वितीय जांच नहीं कराने हेतु लिखित जवाब प्रस्तुत किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा परिवाद का मौखिक जवाब प्रकट करते हुए निवेदन किया कि उसकी फर्म से दिये गए नमुना की जांच में मानक स्तर से अत्यंत कम अंतर पाया गया है, लिहाजा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह जुर्म स्वीकार कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण मे अप्रार्थी के विरूद्व सहानुभूति रखते हुए कम से कम जुर्माना अधिरोपित किया जावें। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थो से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों एवं निर्धारित रेग्येलेशन का उल्लंघन मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है, किन्तु अप्रार्थी ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करते हुए त्रुटि सुधार करना एवं भविष्य मे इस अपराध की पुनरावृति नही किये जाने का वचन दिया है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्व इस प्रथम अपराध प्रकरण मे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कारित अपराध के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत रूपये 1,00,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। Signature Not Verified Digitally signed by Om Prakash Bishnoi Date: 2021.06.29 17:55:48 IST Reason: SelfAttested न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर	